[2019] 1 उम. नि. प. 1

आय-कर आयुक्त (टीडीएस) कानपुर और एक अन्य

बनाम

केनरा बैंक

2 जुलाई, 2018

न्यायमूर्ति ए. के. सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण

आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) – धारा 194क [सपठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 3] – प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न ब्याज – स्रोत पर कर की कटौती – केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 194क(3)(iii)(च) के अधीन तारीख 22 अक्तूबर, 1970 को अधिसूचना जारी करके केन्द्रीय, राज्य और प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगमों को छूट का फायदा दिया जाना – चूंकि न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा), वर्ष 1976 के राज्य अधिनियम द्वारा गठित किया गया है और उक्त अधिसूचना के अंतर्गत आने के कारण स्वयमेव ही धारा 194क के अधीन स्रोत पर कर के संदाय की छूट का हकदार हो जाता है और इसलिए, ऐसी छूट युक्तियुक्त और विधिमान्य है ।

इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "1976 का अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 के अधीन तारीख 17 अप्रैल, 1976 को जारी की गई अधिसूचना द्वारा गठित किया गया था । केनरा बैंक, प्रत्यर्थी सं. 3 प्राधिकरण का बैंक है । प्रत्यर्थी बैंक ने प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए सावधि जमा राशियों/जमा राशियों पर ब्याज के रूप में बीस करोड़ दस लाख रुपए का संदाय किया । तथापि, केनरा बैंक ने आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 194क के अधीन स्रोत पर कर की कटौती नहीं की । प्राधिकरण को उसकी जमा राशियों पर संदत्त ब्याज के संबंध में जानकारी मांगते हुए अपीलार्थी द्वारा केनरा बैंक को सूचनाएं जारी की गईं । अपीलार्थी द्वारा बैंक को स्रोत पर

कर की कटौती न करने के लिए कारण बताने के लिए भी सूचनाएं जारी की गईं । नोएडा द्वारा उसे तथा उसके बैंकों को जारी की गई सूचनाओं को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में रिट याचिका फाइल की गई । उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त रिट याचिका में पारित किए गए कतिपय अंतरिम निदेशों के कारण निर्धारण कार्यवाही नहीं की जा सकी । उच्च न्यायालय द्वारा अंततोगत्वा तारीख 28 फरवरी, 2011 को यह अभिनिर्धारित करते हुए रिट याचिका खारिज कर दी गई कि प्राधिकरण आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(20) के अर्थांतर्गत एक स्थानीय प्राधिकरण नहीं है और उसकी आय को कर से छूट नहीं है । तत्पश्चात्, निर्धारण अधिकारी ने आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 194क के साथ पठित धारा 201(1)/201(1क) के अधीन तारीख 28 फरवरी, 2013 को आदेश पारित करने की कार्यवाही की । आय-कर प्राधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी बैंक व्यतिक्रम करने वाला निर्धारिती है । व्यतिक्रम की संगणना की गई और आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 156 के अनुसार मांग नोटिस जारी की गई । शास्ति कार्यवाही भी अलग से आरंभ की गई । केनरा बैंक ने निर्धारण अधिकारी के तारीख 28 फरवरी, 2013 के आदेश से व्यथित होकर आय-कर आयुक्त के आदेश से व्यथित होकर आय-कर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील फाइल की । बैंक ने आयुक्त के समक्ष आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 194क(3)(iii)(च) के अधीन तारीख 22 अक्तूबर, 1970 को जारी की गई अधिसूचना का अवलंब लिया । अपील प्राधिकरण ने तारीख 2 दिसम्बर, 2013 के अपने निर्णय द्वारा निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए अपील मंजूर की । राजस्व विभाग ने अपील प्राधिकरण के निर्णय से व्यथित होकर आय कर अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल की । अधिकरण ने भी यह अभिनिर्धारित किया कि बैंकों द्वारा राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को किए गए ब्याज के संदाय पर धारा 194क(3)(iii)(च) के निबंधनों के अनुसार स्रोत पर कोई कटौती करना अपेक्षित नहीं है । राजस्व विभाग ने अधिकरण के आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने निर्णय द्वारा अपील खारिज कर दी । राजस्व विभाग द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई विवाद्यक नहीं है कि प्राधिकरण एक निगम नहीं है । न्यायालय के समक्ष यह भी दलील नहीं दी

गई है कि प्राधिकरण एक कानूनी निगम नहीं है । न्यायालय के समक्ष जो दलील दी गई है वह यह है कि प्राधिकरण किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित न होने के कारण तारीख 22 अक्तूबर, 1970 की अधिसूचना के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए फायदे का हकदार नहीं है । धारा 194क के उपबंधों और केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 194क(3)(iii)(च) के जारी की गई अधिसूचना पर विचार किया जाना है । न्यायालय नूनी निर्वचन के एक ऐसे सिद्धांत का उपयोगी रूप से उल्लेख कर सकते हैं जिसे आय-कर अधिनियम, 1961 के उपरोक्त उपबंधों का निर्वचन करते समय लागू किए जाने की आवश्यकता है । आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 194क(3)(iii) के खंड (ख), (ग) और (घ) में "स्थापित" अभिव्यक्ति का उल्लेख है, उपखंड (ख) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित" है । उपखंड (ग) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "जीवन बीमा निगम अधिनियम के अधीन स्थापित" है और उपखंड (घ) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम के अधीन स्थापित" है । इस प्रकार, इस धारा में "द्वारा और के अधीन" दोनों ही अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है । उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की प्रस्तावना में ही यह कहा गया है कि "राज्य में कतिपय क्षेत्रों का औद्योगिक और नगरीय तथा उनसे संबद्ध लोगों के विकास के लिए एक प्राधिकरण का गठन करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम" । इस प्रकार, अधिनियम में ही एक प्राधिकरण के गठन का उपबंध किया गया है । जब न्यायालय वर्ष 1976 के अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों की तुलना राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के उपबंधों के साथ करता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों अधिनियमितियों में निगम की स्थापना का उपबंध राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके किया गया है । प्रस्तुत मामले में, धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी अधिसूचना द्वारा प्राधिकरण का गठन किया गया है । डाल्को इंजीनियरिंग वाले मामले में इस न्यायालय ने पहले ही यह अधिकथित किया है कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अधीन की गई विभिन्न वित्तीय निगमों की स्थापना किसी अधिनियम द्वारा या किसी अधिनियम के अधीन निगम की स्थापना है । न्यायालय का यह मत है कि प्रस्तुत मामला पूरी तरह से उपरोक्त विनिश्चयाधार के अंतर्गत आता है और न्यायालय को कोई संदेह नहीं है कि प्राधिकरण को वर्ष 1976 के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है और यह पूरी तरह से तारीख 22 अक्तूबर, 1970 की अधिसूचना के अंतर्गत आता है । यह

उल्लेख करना भी सुसंगत है कि वर्ष 1976 के अधिनियम की धारा 3 द्वारा ही कानूनी तौर पर प्राधिकरण की संरचना का उपबंध किया गया है, इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्राधिकरण का गठन स्वयं अधिनियम द्वारा किया गया है । (पैरा 15, 28, 29, 30 और 31)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[2010] (2010) 4 एस. सी. सी. 378 :
डाल्को इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम
सतीश प्रभाकर पाद्ये और अन्य ; 23, 27, 31

[1987] [1987] 2 उम. नि. प. 855 =
(1987) 1 एस. सी. सी. 424 :
भारतीय रिजर्व बैंक बनाम **पियरलेस जनरल**
फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और अन्य ; 15

[1982] [1982] 2 उम. नि. प. 515 =
(1981) 3 एस. सी. सी. 431 :
एस. एस. धनोवा बनाम **दिल्ली नगर**
निगम और अन्य ; 14, 21

[1976] [1976] 4 उम. नि. प. 520 =
(1976) 2 एस. सी. सी. 58 :
कार्यकारिणी समिति, वैश्य डिग्री कालेज, शामली
और अन्य बनाम **लक्ष्मी नारायण और अन्य** ; 20

[1975] [1975] 3 उम. नि. प. 3 =
(1975) 1 एस. सी. सी. 421 :
सुखदेव सिंह और अन्य बनाम
भगतराम सरदार सिंह रघुवंशी और एक अन्य ; 16, 19

एन. एच. 4 विट 518, 636 : 4 एसल ईडी. 629 :
डार्टमाउथ कालेज बनाम **वुडवर्ड** । 14

अपीली (सिविल) अधिकारिता : **2018 की सिविल अपील सं. 6020. (इसके साथ 2018 की सिविल अपील सं. 6064, 6056, 6058, 6055, 6060, 6054, 6066,**

6065, 6059, 6053, 6052, 6051, 6063, 6062, 6061, 6023, 6021, 6031, 6025, 6022, 6034, 6027, 6048, 6026, 6028, 6032, 6029, 6036, 6024, 6033, 6039, 6038, 6037, 6046, 6043, 6040, 6030, 6045, 6042, 6041, 6047, 6049, 6044, 6035, 6050, 6069, 6068, 6067 और 6070)

2016 की आय-कर अपील सं. 64 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तारीख 4 अप्रैल, 2016 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील ।

हाजिर होने वाले पक्षकारों की ओर से सर्वश्री के. राधाकृष्णन्, बलबीर सिंह, आदर्श बी. दियाल, ज्येष्ठ अधिवक्तागण, एच. आर. राव, डी. एल. चिदानंद, अरिजित प्रसाद, शेखर व्यास, दीपक प्रकाश, (श्रीमती) अनिल कटियार, जसमीत सिंह, नमन जोशी, (सुश्री) रुहशीत जे. सलूजा, हेमंत जैन, एस. एन. त्यागराजन, आर. एस. सलूजा, मनिंदर सिंह, (सुश्री) रुबल मैनी, संदीप चिलाना, नितेश श्रीवास्तव, मोहम्मद रायज, प्रभू दयाल चिलाना, (सुश्री) सीमा जोशी, एसएआरसी एंड एसोसिएट्स (सुश्री) अनन्य दत्ता मजूमदार, राजीव नंदा, (सुश्री) सुमति आनंद, पंकज गर्ग, मिलिंद गर्ग, ए. एस. एम. त्रिपाठी, एस. के. झा, मेहविश हमीद, सुविदत्त एम. एस., (सुश्री) आरती सिंह, (सुश्री) पूजा सिंह,

रवि प्रकाश महरोत्रा, दिबेश पांडा, नील चटर्जी, वी. डी. वर्मा, रविन्द्र कुमार, (सुश्री) कविता झा, (सुश्री) देविका जैन, देबल बनर्जी और (सुश्री) मीरा माथुर

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने दिया ।

न्या. भूषण – इजाजत दी गई ।

2. इन अपीलों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तारीख 4 अप्रैल, 2016 के उस निर्णय को प्रश्नगत किया गया है, जिसके द्वारा आय-कर अपील अधिकरण के आदेश की अभिपुष्टि करते हुए राजस्व विभाग द्वारा फाइल की गई आय-कर अपीलों को खारिज किया गया है । इन अपीलों में तथ्यों और विधि के सामान्य प्रश्न अंतर्वलित हैं और 2017 की विशेष इजाजत याचिका (सिविल) सं. 3168 से उद्भूत 2018 की सिविल अपील सं. 6020-आय-कर आयुक्त (टीडीएस), कानपुर और एक अन्य बनाम केनरा बैंक के तथ्यों और अभिवचनों को निर्दिष्ट करना पर्याप्त होगा, जिसमें 2016 की आय-कर अपील सं. 64 में उच्च न्यायालय के निर्णय को प्रश्नगत किया गया है ।

3. न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "1976 का अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 के अधीन तारीख 17 अप्रैल, 1976 को जारी की गई अधिसूचना द्वारा गठित किया गया था । केनरा बैंक, प्रत्यर्थी सं. 3 प्राधिकरण का बैंक है । प्रत्यर्थी बैंक ने प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए सावधि जमा राशियों/जमा राशियों पर ब्याज के रूप में बीस करोड़ दस लाख रुपए का संदाय किया । तथापि, केनरा बैंक ने आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 194क के अधीन स्रोत पर कर की कटौती नहीं की ।

4. प्राधिकरण को उसकी जमा राशियों पर संदत्त ब्याज के संबंध में जानकारी मांगते हुए अपीलार्थी द्वारा केनरा बैंक को सूचनाएं जारी की गईं । अपीलार्थी द्वारा बैंक को स्रोत पर कर की कटौती न करने के लिए कारण बताने के लिए भी सूचनाएं जारी की गईं । नोएडा द्वारा उसे तथा उसके बैंकों को जारी की गई सूचनाओं को चुनौती देते हुए 2005 की रिट याचिका सं. 1338 फाइल की गई । उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त रिट

याचिका में पारित किए गए कतिपय अंतरिम निदेशों के कारण निर्धारण कार्यवाही नहीं की जा सकी । उच्च न्यायालय द्वारा अंततोगत्वा तारीख 28 फरवरी, 2011 को यह अभिनिर्धारित करते हुए रिट याचिका खारिज कर दी गई कि प्राधिकरण आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(20) के अर्थांतर्गत एक स्थानीय प्राधिकरण नहीं है और उसकी आय को कर से छूट नहीं है । तत्पश्चात्, निर्धारण अधिकारी ने आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 194क के साथ पठित धारा 201(1)/201(1क) के अधीन तारीख 28 फरवरी, 2013 को आदेश पारित करने की कार्यवाही की ।

5. आय-कर प्राधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी बैंक व्यतिक्रम करने वाला निर्धारिती है । व्यतिक्रम की संगणना की गई और आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 156 के अनुसार मांग नोटिस जारी की गई । शास्ति कार्यवाही भी अलग से आरंभ की गई । केनरा बैंक ने निर्धारण अधिकारी के तारीख 28 फरवरी, 2013 के आदेश से व्यथित होकर आय-कर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील फाइल की । बैंक ने आयुक्त के समक्ष आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 194क(3)(iii)(च) के अधीन तारीख 22 अक्तूबर, 1970 को जारी की गई अधिसूचना का अवलंब लिया । अपील प्राधिकरण ने तारीख 2 दिसम्बर, 2013 के अपने निर्णय द्वारा निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए अपील मंजूर की । राजस्व विभाग ने अपील प्राधिकरण के निर्णय से व्यथित होकर आय-कर अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल की । अधिकरण ने भी यह अभिनिर्धारित किया कि बैंकों द्वारा राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को किए गए ब्याज के संदाय पर धारा 194क(3)(iii)(च) के निबंधनों के अनुसार स्रोत पर कोई कटौती करना अपेक्षित नहीं है ।

6. राजस्व विभाग ने अधिकरण के आदेश से व्यथित होकर अधिनियम की धारा 260क के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने तारीख 4 अप्रैल, 2016 के अपने निर्णय द्वारा अपील खारिज कर दी । खंडपीठ ने अपील को खारिज करते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला :–

> "अतः, हमें औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम के उपबंधों का अनुशीलन करने पर तनिक भी संदेह नहीं है कि नोएडा को राज्य के अधिनियम द्वारा गठित किया गया है और इसलिए वह अधिनियम की धारा 194क(1) के अधीन स्रोत पर कर के संदाय से छूट का हकदार है । अतः, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (उपर्युक्त) वाले

मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय से, जिसका अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा अवलंब लिया गया है, अपीलार्थियों को कोई सहायता नहीं मिलती है, क्योंकि इस मामले में केवल यह विवाद्यक था कि नोएडा एक स्थानीय प्राधिकरण है या नहीं और इस अपील में अंतर्वलित इस विवाद्यक पर विचार नहीं किया गया था कि क्या नोएडा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित एक निगम है ।

अतः, हम हमारे द्वारा विरचित विधि के प्रश्न का उत्तर नकारात्मक देते हैं और यह अभिनिर्धारित करते हैं कि नोएडा उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 द्वारा स्थापित एक निगम है ।"

7. अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री राधाकृष्णन् ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय को चुनौती देते हुए यह दलील दी कि प्राधिकरण, धारा 194(3)(iii)(च) के अधीन जारी की गई तारीख 22 अक्तूबर, 1970 की अधिसूचना के फायदे का हकदार नहीं है । यह दलील दी गई कि उपरोक्त अधिसूचना के अधीन केवल केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम ही इस फायदे का हकदार है । प्राधिकरण राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित निगम नहीं है बल्कि प्राधिकरण एक ऐसा निगम है जिसे 1976 के अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया है । उन्होंने यह दलील दी कि किसी अधिनियम द्वारा स्थापित निकाय और किसी अधिनियम के अधीन स्थापित निकाय के बीच बहुत अंतर है । धारा 194क के उपबंधों का यथार्थतः अर्थान्वयन किया जाना चाहिए और इसका फायदा केवल तभी दिया जा सकता है जब कोई निकाय अभिव्यक्त रूप से छूट के फायदे के अंतर्गत आता हो । धारा 194क(3) के अधीन उल्लिखित अपवादों में के समूह में समरूपता है । जब विधानमंडल ने किसी शब्द का प्रयोग एक परिसीमा के साथ किया हो तो उस शब्द को संपूर्ण वाक्यांश में पढ़ा जाना चाहिए और इसलिए केवल ऐसे निगम छूट के लिए हकदार हैं जो किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं । यह दलील दी गई कि शब्दों का अर्थान्वयन आशय के अनुसार किया जाना चाहिए और तारीख 22 अक्तूबर, 1970 की अधिसूचना के अनुसार जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उससे प्रसामान्यतः यह उपदर्शित होता है कि छूट का दावा करने के प्रयोजन के लिए निगम किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया होना चाहिए । किसी अधिनियम के अधीन स्थापित निगम एक भिन्न प्रवर्ग के अंतर्गत आते हैं और छूट के लिए हकदार नहीं

हैं । विद्वान् कांउसेल ने यह दलील दी कि आय-कर आयुक्त (अपील), आय-कर अधिकरण तथा उच्च न्यायालय ने तारीख 22 अक्तूबर, 1970 की अधिसचूना का ठीक प्रकार से अर्थान्वयन न करके गलती की है और धारा 194(3)(iii)(च) के अधीन गलत रूप से फायदा दिया है ।

(जोर देने के लिए रेखांकन किया गया है)

8. विभिन्न बैंकों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेलों ने अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल की उपरोक्त दलीलों का खंडन किया । यह दलील दी गई कि 1976 के अधिनियम की धारा 3 में यह उपबंधित है कि "राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, किसी औद्योगिक विकास क्षेत्र के लिए (क्षेत्र का नाम) औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण का गठन कर सकेगी ।" यह दलील दी गई है कि प्राधिकरण 1976 के अधिनियम के अधीन स्थापित है । भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के उपबंधों को निर्दिष्ट करते हुए यह दलील दी गई कि कानून में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना के आधार पर निगम स्थापित करने का उपबंध किया गया है । यह दलील दी गई कि इसी रीति में ही प्राधिकरण को एक अधिसूचना जारी करके स्थापित किया गया है, इसलिए, प्राधिकरण को 1976 के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया समझा जाना चाहिए । आनुकल्पिक रूप से, यह दलील दी गई कि विधानमंडल ने "द्वारा और अधीन" शब्द एक-दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किए हैं जो कि धारा 194(3)(iii)(ग) और धारा 194(3)(iii)(घ) से स्पष्ट है । 194क(3)(iii) में ही "द्वारा और अधीन" के अंतर को समाप्त कर दिया गया है, इस कारण 1976 के अधिनियम द्वारा स्थापित प्राधिकरण स्पष्ट रूप से तारीख 22 अक्तूबर, 1970 की अधिसूचना के अंतर्गत आता है । प्राधिकरण को स्थापित करने वाली अधिसूचना "द्वारा" की आज्ञा को पूरा करती है, इसलिए यह धारा 194क(3)(iii) के फायदे का हकदार है ।

9. पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों ने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का अवलंब लिया है, जिनकी दलीलों पर विस्तारपूर्वक विचार करते समय निर्दिष्ट किया जाएगा ।

10. हमने पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख का परिशीलन किया है । वर्तमान अपीलों का यह समुच्चय आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 194क के संबंध में है । धारा 194क के उपबंधों को उद्धृत करना उपयोगी है जो कि निम्नलिखित

है :–

"194क 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' से भिन्न ब्याज – (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब नहीं है और जो (प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में) आय से भिन्न ब्याज के रूप में कोई आय निवासी को भुगतान करने का जिम्मेदार है, पाने वाले के खाते में ऐसी आय को जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चैक काट कर या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से, भुगतान करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, लागू दरों के अनुसार उस पर आय-कर की कटौती करेगा :

परंतु, ऐसा कोई व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां यथापूर्वोक्त ब्याज के रूप में कोई आय ऐसी आय का संदाय करने के लिए दायी किसी व्यक्ति की लेखा बहियों में किसी खाते में, चाहे 'सदैव ब्याज खाते' या 'उचंत खाते' के नाम से या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, जमा की जाती है वहां ऐसी जमा रकम को, पाने वाले के खाते में ऐसी आय की जमा रकम समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।

(2) * * *

(3) उपधारा (1) के उपबंध –

(i) .....

(ii) * * *

(iii) ऐसे आय को लागू नहीं होंगे जो निम्नलिखित के खाते में जमा या संदत्त की गई है, –

(क) कोई बैंककारी कंपनी, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है या बैंककारी

का कारबार करने में लगी हुई (जिसके अंतर्गत सहकारी भूमि बंधक बैंक भी है) कोई सहकारी सोसाइटी ; या

(ख) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या के अंतर्गत स्थापित कोई वित्तीय निगम ; या

(ग) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम ; या

(घ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट ; या

(ङ) बीमा कारबार चलाने वाली, कोई कंपनी या सहकारी सोसाइटी ; या

(च) ऐसी अन्य संस्था, संगम या निकाय अथवा संस्थाओं, संगमों या निकायों का वर्ग जिसे केन्द्रीय सरकार लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचित करे ।"

11. प्रस्तुत मामले में, प्रत्यर्थी द्वारा जिस अधिसूचना का अवलंब लिया गया है वह धारा 194क(3)(iii)(च) के अधीन जारी की गई तारीख 22 अक्तूबर, 1970 की अधिसूचना है, इसलिए तारीख 22 अक्तूबर, 1970 की इस संपूर्ण अधिसूचना को निर्दिष्ट करना आवश्यक है, जो कि निम्नलिखित है :–

"अधिसूचना सं. एस.ओ.3480 [सं. 170 (फाइल सं. 12/164/68-आईटीसीसी/आईटीजे)], 22.10.1970

आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (iii) के उपखंड (च) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए तद्द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है –

(i) केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित कोई निगम ;

(ii) कोई कंपनी, जिसमें सभी शेयर (चाहे एकल रूप में या एक साथ मिलाकर) सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक या उस बैंक के स्वामित्वाधीन किसी निगम द्वारा धारित किए जाते हैं ; और

(iii) सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित कोई उपक्रम या निकाय,

जिसके अंतर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी है ।"

12. पक्षकारों की परस्पर विरोधी दलीलों की परीक्षा करने के लिए अग्रसर होने से पूर्व, निगम की संकल्पना का अभिनिश्चय करना आवश्यक है । निगम एक कृत्रिम सत्ता है जो कि एक विधिक व्यक्ति है । यह संसद् के अधिनियम या रायल चार्टर द्वारा स्थापित निगमित निकाय है । इसके पास संपत्ति और अधिकार होते हैं जो इसका गठन करने वाले चार्टर द्वारा अभिव्यक्त या आनुषंगिक रूप से प्रदत्त किए जाते हैं । हाल्सबरी के लॉज ऑफ इंग्लैंड, पांचवां संस्करण, वाल्यूम 24 में निगम को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :–

"301. निगम और अनिगमित संगम-निगम को व्यक्तियों के एक निकाय (समष्टि निगम की दशा में) या पद (एकल निगम की दशा में) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो विधि द्वारा मान्यता-प्राप्त है क्योंकि उसका एक व्यक्तित्व है जो निकाय के सदस्यों के अलग व्यक्तियों या तत्समय प्रश्नगत पद के व्यष्टिक धारक के व्यक्तित्व से सुभिन्न हैं । ऐसे बहुत सारे संगम और व्यक्तियों के निकाय हैं जो निगम नहीं है । अनिगमित संगमों का विधिक व्यक्तित्व नहीं होता है, न तो उनके अपने नाम से वाद चलाया जा सकता है या उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकता है, न ही सदस्यों के बीच तत्समय किसी संविदा के फलस्वरूप प्रयोजनों से भिन्न अपने प्रयोजनों के लिए (जब तक कि उनके प्रयोजन पूर्त न हों) संपत्ति धारण कर सकते हैं ।"

13. हाल्सबरी के लॉज ऑफ इंग्लैंड, पांचवां संस्करण, वाल्यूम 24 में "समष्टि निगम" को भी निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :–

"312. 'समष्टि निगम' का अर्थ-समष्टि निगम को एक विशेष अभिधान के अधीन एक निकाय में संयुक्त व्यष्टियों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके पास एक कृत्रिम स्वरूप के अधीन और एक व्यष्टि के रूप में कई प्रकार से कार्य करने की क्षमतायुक्त विधि की नीति द्वारा निहित विशिष्ट रूप से, संपत्ति लेने और प्रदान करने, संविदाजात बाध्यताएं करने और वाद लाने और वाद करने, सामान्य तौर पर विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का उपभोग करने और अपनी संस्था के उद्देश्य के अनुसार, न्यूनाधिक व्यापक तौर पर, विभिन्न प्रकार के राजनैतिक अधिकारों का या उसे, उसके सृजन

के समय अथवा इसके अस्तित्वशील रहने के दौरान किसी पश्चात्वर्ती अवधि में, प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने का शाश्वत उत्तराधिकार है ।'

14. **एस. एस. धनोवा** बनाम **दिल्ली नगर निगम और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने निगम की परिकल्पना पर विस्तारपूर्वक विचार किया था । इस न्यायालय ने **डार्टमाउथ कालेज** बनाम **वुडवर्ड**[2] वाले प्रख्यात मामले में मुख्य न्यायाधीश मार्शल द्वारा दी गई निगम की परिभाषा को निर्दिष्ट किया और उसका अवलंब लिया । निर्णय के पैरा 8 और 9 को उद्धृत करना उपयोगी होगा, जो निम्नलिखित है :–

"8. निगम विधि द्वारा सृजित कृत्रिम सत्ता है । उसकी, उसके सदस्यता में परिवर्तनों के होते हुए भी निरन्तर अस्तित्व और उत्तराधिकार की क्षमता से युक्त, उन व्यष्टियों से पूर्णरूपेण पृथक् और सुभिन्न विधिक सत्ता है जो उसका गठन करते हैं । इसके अतिरिक्त उसके पास सम्पत्ति लेने, धारित करने और अंतरित करने, संविदाएं करने, वाद लाने और वाद करने की उस रूप में विधिक सत्ता की क्षमता है तथा वह प्रकृत व्यक्ति के रूप में ऐसी अन्य शक्तियों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करता है जो उसके सृजन की विधि द्वारा उसे प्रदत्त की जाए । डार्टमाउथ कालेज **बनाम** वुडवर्ड के मामले में मुख्य न्यायाधीश मार्शल द्वारा निगम की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है –

> निगम एक ऐसी कृत्रिम सत्ता है जो अदृश्य और अमूर्त है तथा केवल विधि के अनुध्यान में ही अस्तित्वशील है । केवल विधि द्वारा सृष्ट सत्ता होने से उसकी केवल वे ही विशेषताएं हैं जो उसके सृजन के चार्टर द्वारा उसे या तो अभिव्यक्त रूप से या उसके अस्तित्व के आनुषंगिक रूप में प्रदत्त की गई है । ये ऐसी विशेषताएं हैं जो उस उद्देश्य को प्रभावी करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं जिसके लिए उसे सृजित किया गया है । बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता चिरस्थायित्व है और यदि हम ऐसा कह सकें तो दूसरी विशेषता विलग सत्ता है जिनके द्वारा व्यक्तियों के शाश्वत् उत्तराधिकार को उसी रूप में माना जाता है और वह एकल व्यष्टि के रूप में कार्य कर सकता है । ऐसी विशेषताएं, किसी निगम को अपने

---

[1] [1982] 2 उम. नि. प. 515 = (1981) 3 एस. सी. सी. 431.

[2] एन. एच. 4 विट 518, 636 : 4 एसल ईडी. 629.

स्वयं के क्रियाकलापों का प्रबंध करने के लिए और संपत्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित करने के प्रयोजन के लिए शाश्वत् हस्तांतरण की जटिलताओं और जोखिमपूर्ण तथा अनंत आवश्यकता के बिना, संपत्ति धारित करने के लिए समर्थ बनाती है । मुख्यतः व्यक्तियों के निकायों को शाश्वत् उत्तराधिकार में इन गुणों और क्षमताओं से युक्त बनाने के लिए ही निगमों का आविष्कार किया गया है और उसी प्रयोजन के लिए उनका प्रयोग किया जा रहा है । इन साधनों द्वारा व्यष्टियों का शाश्वत् उत्तराधिकार चिरस्थायी जैसे विशेष उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए समर्थ है ।

इसलिए 'निगम' शब्द पर्याप्त रूप से व्यापक है और जिसमें प्राइवेट निगम भी सम्मिलित है । किन्तु भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के 12वें खंड के संदर्भ में 'निगम' शब्द का संकीर्ण विधिक अर्थ किया जाना चाहिए ।

9. निगम का उसके व्यापक अर्थ में किसी व्यष्टि के रूप में कार्य करने के लिए हकदार व्यक्तियों का कोई संगम अभिप्रेत हो सकता है । किन्तु निश्चित रूप से वह अर्थ नहीं है जिसमें उसका यहां प्रयोग किया गया है । विधानमंडल के अधिनियम द्वारा या अधीन स्थापित निगम से केवल ऐसा निगमित निकाय अभिप्रेत हो सकता है जिसका स्वयं का अस्तित्व हो और न कि केवल अधिनियम में उसकी निगमित हैसियत ही हो । उदाहरण के लिए नगरपालिका, जिला परिषद् या ग्राम पंचायत का विधानमंडल के अधिनियम में अपने स्वयं का अस्तित्व और हैसियत है । दूसरी ओर, कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनी के रूप में स्वयं को गठित करने वाले व्यक्तियों का संगम या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अधीन सोसाइटी का विधानमंडल के अधिनियम में कोई अस्तित्व नहीं है किन्तु पक्षकारों के कार्यों के बारे में अस्तित्व है । यद्यपि उसकी विधानमंडल के अधिनियम में निगमित निकाय के रूप में हैसियत हो सकती है ।"

15. हमारे समक्ष ऐसा कोई विवाद्यक नहीं है कि प्राधिकरण एक निगम नहीं है । हमारे समक्ष यह भी दलील नहीं दी गई है कि प्राधिकरण एक कानूनी निगम नहीं है । हमारे समक्ष जो दलील दी गई है वह यह है कि प्राधिकरण किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित न होने के कारण तारीख 22 अक्तूबर, 1970 की अधिसूचना के अंतर्गत नहीं

आता है, इसलिए फायदे का हकदार नहीं है । धारा 194क के उपबंधों और केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 194क(3)(iii)(च) के अधीन जारी की गई अधिसूचना पर विचार किया जाना है । हम कानूनी निर्वचन के एक ऐसे सिद्धांत का उपयोगी रूप से उल्लेख कर सकते हैं जिसे आय-कर अधिनियम, 1961 के उपरोक्त उपबंधों का निर्वचन करते समय लागू किए जाने की आवश्यकता है । **भारतीय रिजर्व बैंक** बनाम **पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने पैरा 33 में निम्नलिखित अधिकथित किया है :–

> "33. निर्वचन, पाठ तथा संदर्भ पर आधारित होना चाहिए । ये निर्वचन के आधार स्तम्भ होते हैं । हम यह भी कह सकते हैं कि यदि पाठ तंतु है तो संदर्भ उसको रंग प्रदान करता है । दोनों में से किसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती । दोनों ही महत्वपूर्ण हैं । वही निर्वचन सर्वोत्तम होता है जो कि पाठ का निर्वचन उसके संदर्भ के अनुरूप करता है । किसी कानून का तभी सर्वोत्तम निर्वचन होता है जब हमें यह पता होता है कि इसको क्यों अधिनियमित किया गया था । यह जानकारी होने पर कानून को पहले पूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए और तब एक-एक धारा को, एक-एक खंड को, एक-एक वाक्यांश को तथा एक-एक शब्द को पढ़ा जाना चाहिए । यदि कानून को उसके अधिनियमन के संदर्भ में कानून बनाने वाले की दृष्टि से, उसके संदर्भ, उसकी स्कीम के अनुसार पढ़ा जाए तो धारा, खंड, वाक्यांश तथा शब्दों के भिन्न भाव होंगे तथा वे भिन्न दिखाई देंगे, उस स्थिति की बनिस्बत जब कानून को संदर्भ के बिना पढ़ा जाता है । इस दृष्टि से हमें संपूर्ण अधिनियम को देखना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि संपूर्ण अधिनियम की स्कीम में ठीक बैठने के लिए प्रत्येक धारा, प्रत्येक खंड, प्रत्येक वाक्यांश तथा प्रत्येक शब्द का क्या अर्थ है तथा वे क्या कहने के लिए रखे गए हैं । कानून के किसी भाग का तथा कानून के किसी शब्द का पृथक् रूप से अर्थान्वयन नहीं किया जा सकता । कानून का अर्थान्वयन इस प्रकार किया जाना होता है जिससे कि प्रत्येक शब्द का एक स्थान हो तथा प्रत्येक बात अपने-अपने स्थानों पर हो । संपूर्ण अधिनियम की पृष्ठभूमि में तथा अधिनियम के पूर्ववर्ती जो कुछ हुआ तथा उनके कारणों का निर्देश करते हुए संपूर्ण परिभाषा को देखने पर ही न्यायालय ने श्रीनिवासन [1981] 3 उम. नि. प. 1019 = [1981] 1 एस. सी. आर. 801 के

---

[1] [1987] 2 उम. नि. प. 855 = (1987) 1 एस. सी. सी. 424.

मामले में 'इनामी चिट' अभिव्यक्ति का अर्थान्वयन किया था और हमें न्यायालय के अर्थान्वयन से भिन्न अर्थ अपनाने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है ।"

16. **सुखदेव सिंह और अन्य** बनाम **भगतराम सरदार सिंह रघुवंशी और एक अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निगम की प्रकृति और स्वरूप पर इसके पूर्ववर्ती इतिहास सहित विचार किया गया था । न्यायमूर्ति मैथ्यू ने अपनी समवर्ती राय व्यक्त करते हुए उल्लेख किया कि 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी में निगम, जिन्हें हम आज "लोक प्राधिकरण" कहते हैं, उस निगमित निकाय से कहीं अधिक थे । पैरा सं. 83, 86 और 87 में निम्नलिखित अधिकथित किया गया है :–

"83. 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी के चार्टरित निगमों से नौघाट चलाने, उपनिवेश स्थापित करने अथवा भारत के साथ व्यापार स्थापित करने जैसे समुदाय के लिए कथित कर्तव्यों का पालन करने की प्रत्याशा, कदाचित अपेक्षा की जाती थी । इन कृत्यों का पालन और उद्यम से जो भी राजस्व प्राप्त हो उसे क्राउन के लिए सुनिश्चित करना ऐसे मुख्य कारण थे जिसके आधार पर चार्टर मंजूर किया जाता था । वस्तुतः और विधिक संज्ञान के भीतर आरंभिक आंग्ल विधि में निगम ऐसी युक्ति थे जिनके द्वारा राजनैतिक सत्ता कुछ कार्य कर जाती थी । वे, जिन्हें हम आज, लोक प्राधिकारी कहते हैं उन निगमित निकायों से कहीं अधिक थे । सत्रहवीं अथवा अठारहवीं शताब्दी में किसी ने इस बाबत विवाद नहीं किया कि ऐसा निगम राज्य का अभिकरण था ।

86. अतः लोक निगम सरकार की तीसरी भुजा बन गए । ग्रेट ब्रिटेन में बड़े निगमों के माध्यम से आधारभूत उद्योगों का संचालन अब जनजीवन का एक स्थायी लक्षण है ।

87. कोई लोक निगम सामान्यतः संसद् द्वारा स्थापित एक विधिक सत्ता होती है और सदैव विधिक प्राधिकारी के अधीन होती है, जो प्रायिक रूप से विशेष कानून के रूप में राष्ट्रीय हित में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय कृत्यों को करने के कर्तव्य से युक्त होती है, उन कृत्यों का तुलनात्मक रूप से निर्बन्धित क्षेत्र होता है और वे कार्यपालिका के नियंत्रण के अध्यधीन होते हैं । निगम न्यायसंगत रूप से स्वतंत्र सत्ता में बना रहता है जो प्रत्यक्षतः संसद् के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है ।

---

[1] [1975] 3 उम. नि. प. 3 = (1975) 1 एस. सी. सी. 421.

लोक निगम सामान्यतः बहुउद्देश्यीय प्राधिकारी नहीं होता बल्कि वे विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सृष्ट कृत्यात्मक संगठन होता है । साधारणतया इसके कोई अंश अथवा अंशधारी (शेयर होल्डर) नहीं होते । साधारणतया इसका उत्तरदायित्व सरकार के प्रति होता है । इसका प्रशासन सक्षम मंत्री द्वारा नियुक्त बोर्ड के हाथों में होता है । लोक निगम के कर्मचारी सिविल सेवक नहीं होते हैं । वस्तुतः यह संभाव्य है कि सम्यक् अनुक्रम में लोक सेवा के विशेषित रूप से विशेष प्रकार का प्रशिक्षण विकसित हो जाएगा और लोक निगम के कार्मिकों की प्रास्थिति अधिक से अधिक रूप से सिविल सेवा का भाग बने बिना उसी के समान हो जाएगी । जहां तक लोक निगम सरकार की ओर से लोक कर्तव्यों का पालन करते हैं वे लोक प्राधिकारी हैं और इस प्रकार सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन है ।"

17. इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त संविधान पीठ के निर्णय में जो एक और सिद्धांत उद्भूत किया गया था, यह है कि निगम, जो सरकार के अभिकरण हैं, संविधान में यथा अंतर्विष्ट परिसीमा के अध्यधीन हैं । जो निगम अर्थात् भारतीय जीवन बीमा निगम, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, औद्योगिक वित्त निगम उपरोक्त मामले में विचाराधीन थे, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थान्तर्गत गठित किया गया अभिनिर्धारित किया गया था । निगमों के दो प्रवर्गों का उल्लेख किया गया है, अर्थात् कानूनी निगम और गैर कानूनी निगम । कानूनी निगम कानून "द्वारा या अधीन" अस्तित्व में आते हैं, जबकि गैर कानूनी निकाय और निगम कानून द्वारा या के अधीन सृजित नहीं किए जाते हैं, बल्कि किसी कानून द्वारा शासित होते हैं ।

"केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित"

18. अपीलार्थी ने एक ओर यह दलील दी कि प्राधिकरण को 1976 के अधिनियम द्वारा स्थापित नहीं किया गया है बल्कि इसे 1976 के अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया है, इसलिए यह तारीख 22 अक्तूबर, 1970 की अधिसूचना के अंतर्गत नहीं जाता है, जबकि प्रत्यर्थी ने यह दलील दी कि प्राधिकरण 1976 के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है, इसलिए यह तारीख 22 अक्तूबर, 1970 की अधिसूचना के अधीन यथा प्रगणित शर्त को पूरा करता है । अनुकल्पतः, यह दलील दी गई कि आय-कर अधिनियम, 1961 में "द्वारा और अधीन" शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किए गए हैं और इनमें कोई अंतर नहीं है, भले ही प्राधिकरण को 1976 के अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया हो ।

(जोर देने के लिए रेखांकन किया गया है)

19. धारा 194क(3)(iii) के खंड (ख), (ग) और (घ) में "स्थापित" अभिव्यक्ति का उल्लेख है, उपखंड (ख) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित" है । उपखंड (ग) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "जीवन बीमा निगम अधिनियम के अधीन स्थापित" है और उपखंड (घ) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम के अधीन स्थापित" है । इस प्रकार, इस धारा में "द्वारा और के अधीन" दोनों ही अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है । अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित अभिव्यक्ति कई अवसरों पर इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आई है । इस संदर्भ में, इस न्यायालय के कुछ निर्णयों को निर्दिष्ट करना उपयोगी होगा । **सुखदेव सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के पास कंपनी अधिनियम के अधीन निगमित कंपनी की प्रास्थिति पर विचार करने का अवसर था । न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि निगमित कंपनी ऐसी कंपनी नहीं है जो कंपनी अधिनियम द्वारा सृजित की गई हो । पैरा 25 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था :–

> "25. ..... कंपनी अधिनियम के अधीन निगमित कंपनी का सृजन कंपनी अधिनियम द्वारा नहीं होता है, बल्कि अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्तित्व में आती है । कंपनी कानूनी निकाय नहीं है क्योंकि उसका सृजन कानून द्वारा नहीं होता है । वह तो ऐसा निकाय है जिसका सृजन कानून के उपबंधों के अनुसार हुआ है ।"

20. न्यायमूर्ति मैथ्यू ने समवर्ती राय में पब्लिक निगम पर चर्चा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसे निगम राज्य द्वारा सृजित किए जाते हैं । **कार्यकारिणी समिति, वैश्य डिग्री कालेज, शामली और अन्य** बनाम **लक्ष्मी नारायण और अन्य**[1] वाले मामले में विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या किसी डिग्री कालेज की कार्यकारिणी समिति एक कानूनी निकाय है । न्यायालय के समक्ष दी गई दलील यह थी कि कार्यकारिणी समिति कानूनी निकाय है चूंकि कालेज आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध है, जो कि कानून द्वारा स्थापित किया गया था । कार्यकारिणी समिति आगरा विश्वविद्यालय द्वारा विरचित कानून के अंतर्गत भी आती है । इस सदंर्भ में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसा निकाय जिसे कानून द्वारा सृजित किया जाता है और उस निकाय के बीच स्पष्ट प्रभेद है जो अस्तित्व में आने के पश्चात् उस कानून के उपबंधों के अनुसार शासित होता है । पैरा 10 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था :–

---

[1] [1976] 4 उम. नि. प. 520 = (1976) 2 एस. सी. सी. 58.

"10. ..... अतः, यह बात स्पष्ट है कि ऐसी संस्था के, जिसे कानून द्वारा सृजित किया जाता है और ऐसी संस्था के, जो अस्तित्व में आ जाने के पश्चात् कानून के उपबंध के अनुसार शासित होती है, बीच स्पष्ट प्रभेद है । दूसरे शब्दों में, स्थिति यह प्रतीत होती है कि संबद्ध संस्था का अस्तित्व कानून के कारण होना चाहिए जो उसकी शक्तियों का स्रोत होगी । ऐसे मामलों में पूछे जाने वाला प्रश्न यह है कि यदि कोई कानून नहीं है तो क्या संस्था का विधिक अस्तित्व होगा । यदि उत्तर नकारात्मक है तो निस्संदेह रूप से यह एक कानूनी निकाय है किन्तु यदि उस संस्था का संबद्ध कानून के प्रति किसी निर्देश के बिना अपना पृथक् अस्तित्व है किन्तु वह मात्र रूप से कानूनी उपबंधों द्वारा शासित होती है तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह एक कानूनी निकाय है .....।"

21. पुनः, **एस. एस. धनोवा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय को एक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी पर विचार करने का अवसर मिला, जो कि एक निगमित निकाय थी । प्रश्न यह था कि क्या राज्य निकाय/निगमन भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के बारहवें खंड के अर्थांतर्गत एक निगम है । इस न्यायालय ने पुनः यह अभिनिर्धारित किया कि निगम अभिव्यक्ति से विधानमंडल द्वारा सृजित कोई निगम अभिप्रेत है । पैरा 7 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था :–

"7. ..... हमारी राय में, इस संदर्भ में 'निगम' शब्द से विधानमंडल द्वारा सृजित निगम ही अभिप्रेत है और न कि कोई निकाय या सोसाइटी, जो व्यष्टियों के किसी समूह के किसी कार्य द्वारा अस्तित्व में लाया गया हो । इसलिए, को-ऑपरेटिव सोसाइटी केन्द्र या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित निगम नहीं है ।"

22. अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित निगम और अधिनियम के द्वारा या अधीन सृजित निकाय के बीच प्रभेद का भी उल्लेख करते हुए पैरा 10 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था :–

"10. अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित निगम और अधिनियम के अधीन निगमित निकाय के बीच प्रभेद है । इस प्रकार का प्रभेद इस न्यायालय द्वारा सुखदेव सिंह और अन्य **बनाम** भगत राम सरदार सिंह रघुवंशी वाले मामले में इस प्रकार किया गया था –

'कंपनी अधिनियम के अधीन निगमित कंपनी, कंपनी अधिनियम के अधीन सृजित नहीं की जाती है अपितु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्तित्व में आती है ।'

इस प्रकार, कानून द्वारा सृजित निकाय और ऐसे निकाय के बीच बहुत ही सुभिन्न प्रभेद है जो अस्तित्व में आने के पश्चात् कानून के उपबंधों के अनुसार शासित होता है.....।"

23. एक अन्य निर्णय जिसमें अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित अभिव्यक्ति पर विचार करने का अवसर आया था, वह **डाल्को इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड** बनाम **सतीश प्रभाकर पाद्ये और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय का निर्णय है । इस न्यायालय को निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2ट के उपबंध, विनिर्दिष्ट तौर पर "स्थापन" अभिव्यक्ति की परीक्षा करनी थी जिससे केन्द्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित कोई निगम अभिप्रेत है । इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित वाक्यांश एक मानक शब्द है जो कई अधिनियमितियों में कानून द्वारा या के अधीन स्थापित या अस्तित्व में लाए गए किसी कानूनी निगम को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है । कंपनी पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि कंपनी, कंपनी अधिनियम के अधीन स्थापित नहीं की जाती है और निगमित कंपनी अपना अस्तित्व कंपनी अधिनियम से "प्राप्त" नहीं करती है । पैरा 20 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है :–

"20. कोई 'कंपनी' कंपनी अधिनियम के अधीन 'स्थापित' नहीं की जाती है । कोई निगमित कंपनी अपना अस्तित्व कंपनी अधिनियम से 'प्राप्त' नहीं करती है । निगमित कंपनी किसी विधिपूर्ण प्रयोजन के लिए संयोजित किन्हीं सात या अधिक व्यक्तियों (या प्राइवेट कंपनी के लिए दो या अधिक व्यक्तियों) के कृत्य द्वारा संगम-ज्ञापन पर अपने नाम हस्ताक्षर करके और रजिस्ट्रीकरण की बाबत कंपनी अधिनियम की अपेक्षाओं का पालन करके बनाई जाती है । अतः, कोई 'कंपनी' कंपनी अधिनियम के अधीन निगमित और रजिस्ट्रीकृत की जाती है, न कि कंपनी अधिनियम के अधीन स्थापित की जाती है । इसके विपरीत, कंपनी अधिनियम स्वतः राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण और

---

[1] (2010) 4 एस. सी. सी. 378.

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को स्थापित करता है और ये दोनों कानूनी प्राधिकरण अपना अस्तित्व कंपनी अधिनियम से प्राप्त करते हैं ।"

24. इस न्यायालय ने आगे इस अभिव्यक्ति को विस्तृत करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि जब प्रयुक्त की गई अभिव्यक्ति "अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित" है, तो "द्वारा या के अधीन" शब्दों के अतिरिक्त "स्थापित" शब्द पर बल दिया जाना चाहिए । निर्णय के पैरा सं. 21 और 22 में जो मत व्यक्त किया गया है उसे निर्दिष्ट करना उपयोगी होगा, जो कि निम्न प्रकार से है :–

"21. जहां 'स्थापना' की परिभाषा में 'अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित कोई निगम' पद का प्रयोग किया जाता है, तो 'द्वारा या के अधीन' शब्दों के अतिरिक्त 'स्थापित' शब्द पर बल दिया जाना चाहिए । 'स्थापित' शब्द किसी अधिनियमिति के फलस्वरूप अस्तित्व में आने को निर्दिष्ट करता है । यह शब्द उस कंपनी को निर्दिष्ट नहीं करता है जो, जब वह अस्तित्व में आ जाती है, कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार शासित होती है । किंतु फिर 'किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित' और 'किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन स्थापित' के बीच अंतर क्या है ?

22. यह अंतर कुछ दृष्टांतों द्वारा अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है । कोई निगम वहां अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है, जहां स्वतः अधिनियम निगम को स्थापित करता है । उदाहरण के लिए भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 में यह उपबंधित है कि भारतीय स्टेट बैंक कहा जाने वाला कोई बैंक बैंककारी कारबार करने के लिए गठित किया जाएगा । जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यह उपबंधित है कि –

"3. भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना और निगमन – (1) ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, एक निगम स्थापित करेगा जिसे भारतीय बीमा निगम कहा जाएगा ।"

भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम 'किसी केन्द्रीय अधिनियम' द्वारा स्थापित निगमों के दो उदाहरण हैं ।

25. इस न्यायालय ने राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के

उपबंधों को भी निर्दिष्ट किया है जिसमें अधिनियम के अधीन विभिन्न वित्तीय निगमों की स्थापना के लिए उपबंध किया गया है । धारा 2(ख) में यथा अंतर्विष्ट वित्तीय निगम की परिभाषा को निर्दिष्ट करना उपयोगी है जो निम्न प्रकार से है :–

> "2(ख) वित्तीय निगम से धारा 3 के अधीन स्थापित वित्तीय निगम अभिप्रेत है और धारा 3क के अधीन स्थापित संयुक्त वित्तीय निगम इसके अंतर्गत है ।"

26. धारा 3 राज्य वित्तीय निगम की स्थापना के संबंध में है, जिसमें निम्नलिखित उपबंधित है :–

> "3. राज्य वित्तीय निगमों की स्थापना – (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए ऐसे नाम के अधीन जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए एक वित्तीय निगम स्थापित कर सकेगी ।
>
> (2) यह वित्तीय निगम उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित नाम का शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।"

27. इस न्यायालय ने **डाल्को इंजीनियरिंग** (उपर्युक्त) वाले मामले में स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे वित्तीय निगम अधिनियम द्वारा या अधिनियम के अधीन स्थापित किए जाते हैं । निर्णय के पैरा सं. 23 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है :–

> "23. हम अगला राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसमें इस अधिनियम के अधीन विभिन्न वित्तीय निगमों की स्थापना के लिए उपबंध किया गया है । इस अधिनियम की धारा 3 राज्य वित्तीय निगम की स्थापना के संबंध में है और इसमें यह उपबंधित है राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए ऐसे नाम के अधीन जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, एक निगम स्थापित कर सकेगी और ऐसा वित्तीय निगम अधिसूचित नाम का एक निगमित निकाय होगा । इस प्रकार, कोई राज्य वित्तीय निगम किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन स्थापित किया जाता है । इसलिए जब 'स्थापित' शब्दों से पूर्व 'अधिनियम द्वारा और के अधीन'

शब्द आते हैं, तो यह स्पष्ट है कि ऐसे निगम के प्रति निर्देश है जो किसी अधिनियम द्वारा या किसी अधिनियम के अधीन स्थापित है अर्थात् इसे किसी अधिनियम द्वारा किसी अधिनियम के अधीन अस्तित्व में लाया गया है । संक्षेप में, यह शब्द किसी गैर-कानूनी निगम के विपरीत कंपनी अधिनियम के अधीन निगमित या रजिस्ट्रीकृत किसी कानूनी निगम को निर्दिष्ट निगम को निर्दिष्ट करता है ।"

28. अब हम मुड़कर 1976 के अधिनियम के उपबंधों पर वापस आते हैं । इस अधिनियम की प्रस्तावना में ही यह कहा गया है कि "राज्य में कतिपय क्षेत्रों का औद्योगिक और नगरीय तथा उनसे संबद्ध लोगों के विकास के लिए एक प्राधिकरण का गठन करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम" ।

29. इस प्रकार, अधिनियम में ही एक प्राधिकरण के गठन का उपबंध किया गया है । 1976 के अधिनियम की धारा 2(ख) में प्राधिकरण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है – अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण । धारा 3 जो इस मामले के लिए अत्यंत सुसंगत है, निम्न प्रकार है :–

*"3. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी औद्योगिक विकास क्षेत्र हेतु, (क्षेत्र का नाम) औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहे जाने वाले प्राधिकरण का गठन कर सकेगी ।

(2) प्राधिकरण एक निगमित निकाय होगा ।

(3) प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा –

---

* अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :–

"3. (1) The State Government may, by notification, constitute for the purposes of this Act, An authority to be called (Name of the area) Industrial Development Authority, for any industrial development area.

(2) The Authority shall be a body corporate.

(3) The authority shall consist of the following –

(क) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, उद्योग विभाग या संयुक्त सचिव-पदेन के रैंक से अन्यून उसका नामनिर्देशिती	सदस्य अध्यक्ष
(ख) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लोक निर्माण विभाग या संयुक्त सचिव-पदेन से अन्यून रैंक का उसका नामनिर्देशिती	सदस्य
(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, स्थानीय स्वशासन या संयुक्त सचिव-पदेन से अन्यून रैंक का उसका नामनिर्देशिती	सदस्य
(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग या संयुक्त सचिव-पदेन से अन्यून रैंक का उसका नामनिर्देशिती	सदस्य
(ङ) प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम-पदेन	सदस्य

(a) The Secretary to the Government, Uttar Pradesh, Industries Department or his Nominee not below the rank of Joint Secretary-ex-official.	Member Chairman
(b) The Secretary to the Government, Uttar Pradesh, Public works Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary ex-official.	Member
(c) The Secretary to the Government, Uttar Pradesh, Local Self-Government or his nominee not below the rank of joint Secretary-ex official.	Member
(d) The Secretary to the Government, Uttar Pradesh, Finance Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary-ex official.	Member
(e) The Managing Director, U.P. State Industrial Development Corporation-ex official.	Member

(च) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके नामनिर्देशित किए गए पांच सदस्य — सदस्य

(छ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी — सदस्य सचिव

(4) प्राधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

(5) प्राधिकरण की बैठकों का आयोजन करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए ।

(6) प्राधिकरण का कोई कृत्य या कार्यवाहियां प्राधिकरण में किसी रिक्ति की विद्यमानता या उसके गठन में त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।'

30. जब हम 1976 के अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों की तुलना राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के उपबंधों के साथ करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों अधिनियमितियों में निगम की स्थापना का उपबंध राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके किया गया है । प्रस्तुत मामले में, धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी अधिसूचना द्वारा प्राधिकरण का गठन किया गया है । तारीख 12 अप्रैल, 1976 की अधिसूचना के पैरा सं. 2 को उद्धृत करना उपयोगी है :–

"2. राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऊपरवर्णित

(f) Five member to be nominated by the State Government by notification. — Member

(g) Chief Executive Officer. — Member Secretary

(4) The headquarters of the Authority shall be at such place as may be notified by the State Government.

(5) The procedure for the conduct of the meetings for the Authority shall be such as may be prescribed.

(6) No act or proceedings of the Authority shall be invalid by reason of the existence of any vacancy in or defect in the constitution of the Authority."

औद्योगिक विकास क्षेत्र की बाबत एक प्राधिकरण का भी गठन करते हैं जिसे 'न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण' कहा जाएगा, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्,

(i) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, उद्योग विभाग, पदेन	सदस्य, अध्यक्ष (खंड (क) के अधीन)
(ii) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लोक निर्माण विभाग, पदेन	सदस्य (खंड (ख) के अधीन)
(iii) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, स्थानीय स्व-शासन विभाग पदेन	सदस्य (खंड (ग) के अधीन)
(iv) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग, पदेन	सदस्य (खंड (घ) के अधीन)
(v) प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. पदेन	सदस्य (खंड (ङ) के अधीन)
(vi) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड पदेन	सदस्य (खंड (च) के अधीन नामनिर्देशित)
(vii) मुख्य इंजीनियर, उत्तर प्रदेश जल निगम बोर्ड, पदेन	सदस्य (खंड (च) के अधीन नामनिर्देशित)
(viii) मुख्य इंजीनियर, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश पदेन	सदस्य (खंड (च) के अधीन नामनिर्देशित)
(ix) मुख्य नगर और ग्रामीण योजनाकार, उत्तर प्रदेश पदेन	सदस्य (खंड (च) के अधीन नामनिर्देशित)

(x) जिला मजिस्ट्रेट बुलंदशहर, पदेन	सदस्य (खंड (च) के अधीन नामनिर्देशित)
(xi) मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य सचिव (खंड (छ) के अधीन)"

31. **डाल्को इंजीनियरिंग** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने पहले ही यह अधिकथित किया है कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अधीन की गई विभिन्न वित्तीय निगमों की स्थापना किसी अधिनियम द्वारा या किसी अधिनियम के अधीन निगम की स्थापना है । हमारा यह मत है कि प्रस्तुत मामला पूरी तरह से उपरोक्त विनिश्चयाधार के अंतर्गत आता है और हमें कोई संदेह नहीं है कि प्राधिकरण को 1976 के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है और यह पूरी तरह से तारीख 22 अक्तूबर, 1970 की अधिसूचना के अंतर्गत आता है । यह उल्लेख करना भी सुसंगत है कि 1976 के अधिनियम की धारा 3 द्वारा ही कानूनी तौर पर प्राधिकरण की संरचना का उपबंध किया गया है, इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्राधिकरण का गठन स्वयं अधिनियम द्वारा किया गया है ।

32. ऊपर जो चर्चा की गई है, उसको देखते हुए हमारा यह मत है कि उच्च न्यायालय ने राजस्व विभाग द्वारा फाइल की गई अपील को खारिज करके कोई गलती नहीं की है । परिणामतः सभी अपीलें खारिज की जाती हैं ।

अपीलें खारिज की गईं ।

जस.